रजिस्ट्री सं० डीएल०-33004/97

REGD. NO. D L -33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 467] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 1997/अग्रहायण 6, 1919
No. 467] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 1997/AGRAHAYANA 6, 1919

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1997

सा. का. नि. 672(अ) :—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् बनाना चाहती है, उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, चार मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं ।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1997 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में, :—

(i) नियम 37ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"37 घ खाद्य तेल और वसा पर लेबल लगाना—खाद्य तेल और वसा के पैकेज, लेबल या विज्ञान पर "अति परिष्कृत", "अतिरिक्त परिष्कृत", "सूक्ष्म-परिष्कृत", "दोहरा परिष्कृत", "परा परिष्कृत", "प्रति-कोलेस्टोराल", "कोलेस्टेराल फाइटर", "हृदय को प्रशमनकारी", "रक्त की कोलेस्टेराल मात्रा न्यून करना है", "कालेस्टेराल अनुकूल", "विटामिन-ई से भरपूर", "संतृप्त वसा मुक्त" जैसे पदों या ऐसे अन्य पदों का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो उस उत्पाद की क्वालिटी की अतिशयोक्ति है",

(ii) नियम 49 में, खंड (27) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(28) कोई भी व्यक्ति खनिज जल का विक्रय भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिन्ह् के अधीन ही करेगा, अन्यथा नहीं" ;

(iii) नियम 57 के उपनियम (2) की सारणी में, —

(क) सीसा से संबंधित क्रम सं. 1 के सामने, स्तंभ (2) में,

(अ) मद (i-ख) और उससे संबंधित स्तंभ (3) में, की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(2)	(3)
"(i-ख) खाद्य तेल और वसा	0.5" ;

(आ) मद(ii) में, "खाद्य तेल और वसा" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3
"(9) निकेल	सभी हाईड्रोजनीकृत, आंशिक हाईड्रोजनीकृत, अन्त:एस्टेरीकृत वनस्पति, टेबल मार्गरीन, बेकरी तथा औद्योगिक मार्गरीन, बेकरी मक्खन, वसा विस्तरण और आंशिक हाइड्रोजनीकृत सोयाबीन तेल";	1.5

(iv) परिशिष्ट "ख" में, :—

(क) मद क-12 में, प्रथम परन्तुक के पूर्ववर्ती पैरा में, "इसमें सुरुचिकारक के रूप में डाई एसिटिल भी 4 पी. पी. एम. की अधिकतम सीमा तक हो सकती है" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"इसमें सुरूचिकारक के रूप में लेक्टिक एसिड बुटेरिक एसिड, वालेरिक एसिड, साइन्नामन तेल, एथिल बुटिरेट 0.08 पी पी एम एम/ एक तक और सुरूचिकारक के रूप में डाईऐसिटिल भी 4.0 पी पी एम की अधिकतम सीमा तक हो सकती है";

(ख) मद क. 17.25 में, —

(i) मानक सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(ii) मानक सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"3. 40° सें. पर अपवर्तनांक — 1.4630-1.4690

3 क. 40° सें. पर ब्यूटिरिफ्रेक्टोमीटर पठन — 44.6-64.8"

(iii) मानक सं. 4 से "189-202" अंकों के स्थान पर "189-195" अंक रखे जाएंगे ;

(iv) मानक सं. 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) मद क. 17.26 में, —

(i) मानक सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) मानक सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3. 40° सें. पर अपवर्तनांक — 1.4630-1.4670

या

3 क. 40° सें. पर ब्यूटिरिफ्रेक्टोमीटर पठन — 55.6-61.7";

(iii) मानक सं. 4 में "189-202" अंकों के स्थान पर "189-195" अंक रखे जाएंगे ;

(iv) मानक सं. 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(घ) मद क. 19 के मानक (vii) में "2.5" अंकों के स्थान पर "3.4" अंक रखे जाएंगे ;

(ङ) मद क. 32 के पैरा 2 में "खनिज जल को साफ और रोगाणुरहित आधानों में पैक किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"खनिज जल को साफ और रोगाणुरहित आधानों में पैक किया जाएगा । इसका भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिन्ह के अधीन विक्रय किया जाना अनिवार्यत: होगा" ।

[फा. सं. पी. 15014/8/96-पी एच(एफ)]

रेणु साहनी धर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 1997

G.S.R. 672 (E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government after consultation with the Central Committee for Food Standards proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of four months from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi-110 011

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955,—

(i) after rule 37C, the following rule shall be inserted, namely:—

"37D. Labelling of edible oils and fats—The package, label or the advertisement of edible oils and fats shall not use the expressions "Super-Refined", "Extra-Refined", "Micro-Refined", "Double-Refined", "Ultra-Refined", "Anti-Cholesterol", "Cholesterol Fighter", "Soothing to Heart", "Cuts down Cholesterol Content of Blood", "Cholesterol Friendly", "Rich in Vitamin-E", "Saturated Fat Free" or such other expressions which are an exaggeration of the quality of the product';

(ii) in rule 49, after clause (27), the following shall be inserted, namely:—

"(28) No person shall sell mineral water except under the Bureau of Indian Standards Certification Mark";

(iii) in rule 57, in sub-rule (2), in the Table,—

(a) against serial No. 1 relating to Lead, in column (2), (A) for item (i-b) and the entry relating thereto in column (3), the following shall be substituted, namely:—

(2)	(3)
"(i-b) Edible oils and fats	0.5";

(B) in item (ii), the words "edible oils and fats" shall be omitted;

(b) after serial No. 8 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"(9) Nickel	All hydrogenated, partially hydrogenated, interesterified, vegetable oils and fats such as vanaspati, table margarine, bakery and industrial margarine, bakery shortening, fat spread, and partially hydrogenated soyabean oil.";	1.5

(iv) in Appendix 'B',—

(a) in item A-12, in the paragraph preceding the first proviso, for the words and figures "It may also contain diacetyl as a flavouring agent upto a maximum limit of 4 ppm", the following shall be substituted, namely:—

"It may also contain Lactic Acid, Butyric Acid, Valeric Acid, Cinnamon Oil, Ethyl Butyrate as flavouring agents upto 0.08 ppm m/m and Diacetyle as a flavouring agent upto a maximum limit of 4.0 ppm";

(b) in item A. 17.25,—

(i) standard No. 2, and the entries relating thereto shall be omitted.

(ii) for standard No. 3, and the entries relating thereto, the following words and figures shall be substituted, namely:—

"3. Refractive Index at 40° C———1.4630—1.4690°

or

3.A. Butyro refractometer reading at 40° C ——— 44.6-64.8

(iii) in standard No. 4, for the figures "189-202", the figures "189-195" shall be substituted;

(iv) standard No. 10, and the entries relating thereto shall be omitted;

(e) in item A.17.26,—

(i) standard No. 2, and entries relating thereto shall be omitted;

(ii) for standard No. 3, and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"3. Refractive Index at 40° C———1.4630-1.4670

or

3.A. Butyrorefractometer reading at 40° C———55.6-61.7";

(iii) in standard No. 4, for the figures "189-202", the figures "189-195" shall be substituted;

(iv) standard No. 10, and entries relating thereto shall be omitted;

(d) in item A.19, in standard (vii), for the figures "2.5", the figures "3.4" shall be substituted;

(e) in item A.32, in paragraph 2, for the words "Mineral water shall be packed in clean and sterile containers", the following shall be substituted, namely:—

"Mineral water shall be packed in clean and sterile containers. It shall be compulsorily sold under the Bureau of Indian Standards Certification Mark".

[F.No. P. 15014/8/96-PH (F)]

RENU SAHNI DHAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997